भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1759
उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

पीएम पोषण योजना के अंतर्गत परोसा गया दूषित भोजन

†1759. **डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि महाराष्ट्र में विगत छह महीनों के दौरान प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना (पूर्ववर्ती मध्याह्न भोजन योजना) के अंतर्गत परोसे गए दूषित भोजन के कारण राज्य भर में अनेक बच्चे बीमार पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) दूषित और बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले भोजन के लिए की गई निविदा आबंटन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कोई निरीक्षण किया जाता है और यदि हां, तो इसकी समय-सीमा और आवृत्ति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) राज्य में विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत दूषित भोजन की आपूर्ति के कारण कितने बच्चे बीमार हुए और कितने बच्चों की मृत्यु हुई; और
(च) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जा रही है, ताकि बालवाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में एक बार गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

पात्र बच्चों को गरम पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने सहित योजना के सुचारू संचालन की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 6 माह में 5 घटनाओं की रिपोर्ट दी है, जिससे 387 छात्र प्रभावित हुए हैं। राज्य ने सूचित किया है कि प्रत्येक घटना में एक जांच समिति गठित की गई, संबंधित प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, स्वयं सहायता समूह की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, एक स्कूल में प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया और रसोइया-सह-सहायक (सीसीएच) को सेवा से हटा दिया गया। विवरण अनुलग्नक में संलग्न हैं।

(ग): राज्य ने आगे सूचित किया है कि राज्य में चयनित आपूर्तिकर्ता संगठन के माध्यम से खाद्यान्न, तेल और मसालों की आपूर्ति के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया है। चावल के परिवहन और संबंधित जिलों में खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए निविदाएं, जहां घटनाएं हुईं, फरवरी 2023 में अंतिम रूप दिया गया।

(घ) से (च): भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुएं खरीदने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण देने, बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन चखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से भोजन की जांच करने की सलाह दी जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है, योजना के कामकाज पर समय-समय पर सामाजिक लेखा परीक्षा करेगा या करवाएगा और अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से आवश्यक कार्रवाई करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या 2% स्कूलों में, जो भी प्रत्येक जिले के लिए अधिक हो, सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करना अपेक्षित है। सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पीएम पोषण योजना को लागू करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल विभाग की है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता वाले खाद्यान्न जारी करने की जिम्मेदारी

दी गई है, जो किसी भी मामले में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का होगा। एफसीआई पीएम पोषण योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति में विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। जिला कलेक्टर/जिला पंचायत के सीईओ यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम एफएक्यू का खाद्यान्न एफसीआई और कलेक्टर और/या जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नामित व्यक्ति की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद उठाया जाए और उनके द्वारा यह पुष्टि की जाए कि अनाज कम से कम एफएक्यू मानदंडों के अनुरूप है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से उनके होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों, एफएसएसएआई, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से पोषण, खाना पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों की तैयारी, व्यंजनों, परोसने के कौशल आदि पर रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यान्वयन के निष्पादन और सीमा में सुधार के लिए इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत निगरानी तंत्र प्रदान किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, लोकसभा के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति शामिल है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले 6 माह में 2832 निरीक्षण किए गए।

ऐसी घटनाओं में वृद्धि के कारण राज्य सरकार ने उक्त घटनाओं की जांच के बाद पाई गई त्रुटियों तथा विद्यालय स्तर पर बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक से प्रतिमाह दो स्कूलों से पके हुए भोजन के नमूने लेकर जांच कराने का निर्णय लिया है और इसके तहत एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशालाओं का पैनल तैयार किया गया है। साथ ही सभी शिक्षा अधिकारियों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूलों में जाकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के कार्यान्वयन का भी निरीक्षण करें।

महाराष्ट्र सरकार ने यह भी सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों में कुल 7 घटनाएं हुईं और 414 छात्र इससे प्रभावित हुए। सभी छात्रों का इलाज किया गया और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई तथा किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा 'पीएम पोषण योजना के अंतर्गत परोसा गया दूषित भोजन' के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1759 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले छह महीनों में महाराष्ट्र में पीएम पोषण योजना के तहत घटित हुई अप्रिय घटनाओं का विवरण

क्र.सं.	जिला	स्कूल	दिनांक	प्रभावित बच्चे	इसमें शामिल और दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई की गई
1	ठाणे	माध्यमिक विद्यालय कालवा	17.10.2024	47	भोजन उपलब्ध कराने वाले स्वयं सहायता समूह की लापरवाही के कारण यह घटना घटी, स्वयं सहायता समूह की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।
2	चंद्रपुर	जिला परिषद सेंट्रल प्री. स्कूल पारडी साओली	05.12.2024	126	यह घटना इसलिए हुई क्योंकि छात्रों को आधा पका चावल और अनाज खाने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि भोजन तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई थी। प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है।
3	वर्धा	जिला परिषद सेंट्रल प्री. स्कूल पारडी हिंगनघाट	10.12.2024	38	यह घटना प्रधानाध्यापक की लापरवाही और खराब भोजन के उपयोग के कारण हुई, प्रधानाध्यापक के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है।
4	अमरावती	जिला परिषद प्रि. स्कूल अडगांव मोर्शी	28.12.2024	54	यह घटना स्कूल में चावल और अन्य अनाज को साफ जगह पर न रखने और समाप्ति तिथि के सामान का इस्तेमाल करने के कारण हुई। अध्यापक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और रसोइया-सह-सहायकों को भी काम से हटा दिया गया है।
5	बीड	रामकृष्ण विद्या विदा कैज	17.01.2025	122	यह घटना तब हुई जब प्रधानाध्यापक और शिक्षक ने रसोई शेड की उपलब्धता के बावजूद खुले स्थान पर खाना पकाया और भोजन में कुछ गिर गया जिससे भोजन दूषित हो गया। प्रधानाध्यापक और संबंधित शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।